न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/378

घींसी बाई पुत्री गोपाल पत्नी गोबरी लाल जाति लुहार उम्र 61 साल निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर आत्मज गोपाल जाति लुहार उम्र 31 साल निवीस ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
2. सोहन पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड उम्र 51 साल ।
3. रामप्रसाद पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड उम्र 61 साल निवासीगण ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जय कुमार चितौडा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बनवारी लाल नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53, 88 एवं 183 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 दोनों सगे भाई–बहिन हैं । ग्राम हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी पुराना खसरा नम्बर 386 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान के पिता मृतक गोपाल आत्मज मांग्या के खाते में दर्ज थी । वादिनी के पिता मृतक गोपाल ने अपने जीवनकाल में कुछ भूमि परमेश्वर सिंह आत्मज कान्ह सिंह को विक्रय कर दी । शेष भूमि गोपाल के ही खातेदारी में रही है और अब गोपाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 का बराबर–बराबर

1/2– 1/2 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 1110 रकबा 1.18 हैक्टर कायम हुए हैं । गोपाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 दोनों को संभाग से हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रतिवादी कम 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर उक्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली । वादिनी उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे, वादिनी को 1/2 हिस्सा विधिवत विभाजन किया जाकर बंटवारे अनुसार 1/2 हिस्से पर वादिनी को पृथक कब्जा दिया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादिनी की भूमि से अवैध अतिक्रमण करने से बेदखल किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादिनी को संभलाया जावे साथ ही वादिनी के हकों के विरूद्ध हो रहे इन्द्राज को शून्य घोषित किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 2 एवं 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.09.98, 19.02.1999 से क्रय किया है । उक्त विक्रय पत्र को खारिज करने व वैधानिकता की जॉच सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है । राजस्व न्यायालय को उक्त दावा सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिनी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 के द्वारा प्रतिवादी कम 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादिनी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद को सिविल नेचर का मानकर खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बंटवारा एवं खातेदारी घोषणा का था तथा बंटवारे के बाद को बिना मेटिर पर तनकीयात बनाये बिना किसी भी सूरत में मात्र यह कहकर कि मामला सिविल नेचर का प्रतीत होता है खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी वादिनी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा भी पेश कर दिया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादिनी ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु वकील साहब को नियुक्त किया था जिन्होंने मझे प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और आश्यकता पडने

पर बुलाने हेतु कहा था परन्तु उनके वकील साहब द्वारा अपीलान्ट को कई सालों तक कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट दिनांक 03.07.2017 को अपने आवश्यक कार्य से के0 पाटन गई थी तो अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया था कि वादिनी के पिता के खाते की कृषि भूमि नया खसरा नम्बर 1110 रकबा 1.18 हैक्टर ग्राम हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है । वादिनी के पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के नाम संभाग से दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रतिवादी ने चालाकी से अपना नाम दर्ज करवा लिया और आराजी का बेचान कर दिया । वादिनी के द्वारा पेश किये गये दावे में तनकीयात कायम की जानी थी इसके बावजूद प्रतिवादी ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया और वादिनी की अनुपस्थिति में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादिनी खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । तनकीयात बनये बिना इस प्रकरण में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था न तो तनकीयात कायम की गई है और न ही साक्ष्य ली गई है । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही दावा खारिज किया गया है । अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.07.2017 को हुई । जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज थी और उनके द्वारा उक्त भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा किया जा चुका है । यदि विक्रय पर अपीलान्ट को आपत्ति करनी थी तो 03 साल के अन्दर कर सकते थे उनके द्वारा उक्त अवधि में कोई आपत्ति नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट सद्भावी क्रेता हैं । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट ने सन् 2010 के निर्णय के खिलाफ सन् 2017 में अपील पेश की जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने विलम्ब के भी कोई समुचित कारण नहीं बताए हैं । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा का पेश किया गया था । इस दावे में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया था जो शामिल मिसल है । इसके उपरान्त प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम

11 सीपीसी पेश किया है जो पत्रावली में शामिल मिसल है । पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र वादी में लम्बित थी और दिनांक 20.12.2010 को वादिनी स्वयं एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए और अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया है ।

12. अपीलान्ट ने उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 के निर्णय के खिलाफ सन् 2017 में लगभग 07 वर्ष बाद पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट द्वारा धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है उसका अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि वकील साहब के द्वारा सूचना नहीं दी गई और प्रार्थिया दिनांक 03.07.2017 को के0 पाटन गई और वकील साहब से सम्पर्क करने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई । दावा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं वादिनी के द्वारा पेश किया गया था । दावा सन् 2010 में खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में वादिनी को स्वयं अपने अभिभाषक से समय रहते सम्पर्क करना चाहिए था एवं निर्णय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी । 07 वर्ष बाद वकील साहब से सम्पर्क करने और निर्णय की जानकारी प्राप्त करना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्ट ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब का समुचित कारण अवगत नहीं करवाया है । ऐसी स्थिति में धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/378

घींसी बाई पुत्री गोपाल पत्नी गोबरी लाल जाति लुहार उम्र 61 साल निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. लटूर आत्मज गोपाल जाति लुहार उम्र 31 साल निवीस ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
2. सोहन पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड उम्र 51 साल ।
3. रामप्रसाद पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड उम्र 61 साल निवासीगण ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 110/दावा/2006

घींसी बाई पुत्री गोपाल पत्नी गोबरी लाल जाति लुहार उम्र 61 साल निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. लटूर आत्मज गोपाल जाति लुहार उम्र 31 साल निवीस ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
2. सोहन पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड उम्र 51 साल ।
3. रामप्रसाद पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड उम्र 61 साल निवासीगण ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 29.07.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जय कुमार चित्तौडा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बनवारी लाल नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2010 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा